

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प.23(2)चि. एवं स्वा./ग्रुप-3/08 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 1 SEP 2003


अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (2) सपटित उप धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.23 (2) चिकि. एवं स्वा./ग्रुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01.07.2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ" को अभिव्यक्ति "शासन सचिव (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से


(श्रीमती हंसा सिंह देव)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्य मन्त्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक एनआरएचएम, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान।
8. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प0क0 मन्त्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, पीएनडीटी, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, नई दिल्ली।
11. निदेशक (जन स्वा0)/(प0क0)/(एडस), मुख्यालय।
12. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,(प0क0)/(स्वा0) राजस्थान।
15. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
16. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
17. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव 11.9.08